अनुदान संख्या 10 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 10 - DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00*	*49,83*	*-17*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5531,82,00	5531,83,00	4155,32,10	-1376,50,90
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1359,33,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		687,00,00	427,00,00	-260,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				260,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	16950.00	12986.10	12830.95	-155.15
पु.	R.	-3963.90			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations					
मू.	O.	68174.00		67753.00	67718.00	-35.00
पु.	R.	-421.00				
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	10000.00		..	..	..
पू.	S.	1.00				
पु.	R.	-10001.00				
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion					
मू.	O.	455558.00		334010.90	332483.15	-1527.75
पु.	R.	-121547.10				

(I) ₹21062.00 लाख का प्रावधान (फरवरी 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें में ₹20501.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹21062.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹20501.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" – "अन्य – काजू – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1000.00 लाख – रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण।

(A) Major Head "2407" - "Others - Cashew - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1000.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims from implementing agencies and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "चाय – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" – ₹4921.00 लाख; (फरवरी 2021 में प्राप्त; ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "कॉफी – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1080.00 लाख;

(ग) "रबड़ – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2770.00 लाख;

(घ) "मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹690.00 लाख; और

(ङ) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" – "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात क्रेडिट के लिए संवर्धन पैकेज – निरविक (निर्यात ऋण विकास योजना)" – ₹9500.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वाणिज्य विभाग" के अंतर्गत – ₹4005.19 लाख की बचत (₹16540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता

(B) Major Head "2552" -

(a) "Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹4921.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021);

(b) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1080.00 lakhs;

(c) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2770.00 lakhs;

(d) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹690.00 lakhs; and

(e) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Stimulus Package for Export Credit - NIRVIK (Niryat Rin Vikas Yojana)" - ₹9500.00 lakhs - due to requirement of less funds by implementing agencies owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - saving of ₹4005.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16540.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards

होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2407” – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) “चाय – पुनः पौध–रोपण के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹1105.00 लाख की बचत (₹6927.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “कॉफी” –

(क) “उपकर संग्रहण की तुलना में भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹1161.00 लाख की बचत (₹13481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “बागान के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹1600.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त – निकाय” – ₹569.00 लाख की बचत (₹1209.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “रबड़ – उपकर संग्रहण की तुलना में भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹2810.00 लाख की बचत (₹18305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) “मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय” – ₹1145.00 लाख की बचत (₹6145.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head “2407” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Tea - Subsidy for re-plantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1105.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6927.00 lakhs);

(B) “Coffee” -

(a) “Payment against Collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1161.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13481.00 lakhs);

(b) “Subsidies for Plantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹569.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1209.00 lakhs);

(C) “Rubber - Payment against Collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹2810.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18305.00 lakhs);and

(D) “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1145.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6145.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “विदेश व्यापार नियंत्रण” –

(क) “महानिदेशक विदेश व्यापार” – ₹2103.10 लाख की बचत (₹14650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने की वजह से हुई।

(ख) “अवसंरचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि का आधुनिकीकरण” – ₹1909.85 लाख की बचत (₹4020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम विदेशी दौरे किए जाने, अन्य ऑफिस व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “व्यापार सूचना तथा सांख्यिकी – महानिदेशक वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी” – ₹1145.20 लाख की बचत (₹3878.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कोविड–19 महामारी के कारण स्थापना संबंधी खर्च के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) “निर्यात सहायिकी – प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम” – ₹63300.00 लाख की बचत (₹230000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(घा) “निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता” –

(क) “निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान” – ₹22903.88 लाख की बचत (₹70132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) Under Major Head “3453” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Foreign Trade Control” -

(a) “Director General of Foreign Trade” - saving of ₹2103.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14650.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(b) “Modernisation of Infrastructure & IT etc.” - saving of ₹1909.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4020.00 lakhs) was due to less foreign tours undertaken, requirement of less funds towards other office expenses owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics” - saving of ₹1145.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3878.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards establishment related expenditure owing to COVID-19 pandemic.

(C) “Export Subsidy - Interest Equalisation Scheme on pre and post Shipment Rupee Export Credit” - saving of ₹63300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹230000.00 lakhs);

(D) “Assistance for Export Promotion and Market Development” -

(a) “Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisations” - saving of ₹22903.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70132.00 lakhs);

(ख) "निर्यात संवर्धन स्कीम" – ₹14969.18 लाख की बचत (₹32600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Export Promotion Schemes" - saving of ₹14969.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32600.00 lakhs);

(ग) "बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" – ₹9069.00 लाख की बचत (₹32197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹9069.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32197.00 lakhs) ; and

(ङ.) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" – ₹1501.08 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹1501.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs)

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above five heads were due to requirement of less funds by implementing agencies owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1660.91 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 80 प्रतिशत थीं।

(V) Under five heads savings of ₹1660.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7371.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "2407" – "चाय – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹7371.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "2407" - "Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2407" – "रबड़ – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" – ₹2674.00 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2407" - "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - excess of ₹2674.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" – "अन्य व्यय – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" – ₹5913.83 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में भारतीय पवेलियन के निर्माण तथा प्रदर्शिनियों और क्यूरेशन तैयार करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

(B) Major Head "3453" - "Other Expenditure - International Conferences" - excess of ₹5913.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of Indian Pavilion and preparation of exhibits and curation in World Expo 2020 Dubai.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹430.15 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹430.15 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	65000.00	39000.00	39000.00	..
पु.	R.	-26000.00			

(I) "व्यापार संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – व्यापार संवर्धन स्कीम" के अंतर्गत – ₹26000.00 लाख की बचत (₹65000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Investments in Trading Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Export Promotion Schemes" - saving of ₹26000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. *मूल्य स्थिरीकरण निधि*

4. ***Price Stabilization Fund:-***

जब मूल्य पिछले सात वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के औसत से कम हो जाते हैं, तब चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू

Price Stabilization Fund was introduced in April, 2003 for a period of 10 years with the objective

के छोटे उत्पादकों, जिनकी भूमि की प्रचालनात्मक धारिता चार हेक्टेयर तक हो, को वित्तीय राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से अप्रैल, 2003 में, सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिप्राप्ति ऑपरेशनों की रीति का सहारा लिए बिना, मूल्य स्थिरीकरण निधि की शुरुआत अप्रैल, 2003 में 10 वर्षों के लिए की गई थी। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा सितंबर, 2003 में मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास का गठन किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार के ₹482.88 करोड़ तथा उत्पादकों के ₹17.22 करोड़ (प्रवेश शुल्क संबंधी) अंशदान सहित ₹500 करोड़ रूपए का कॉर्पस भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में रखा जाना था। उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के लिए ₹500 (अप्रतिदेय) जमा करने थे, जो कि मूल्य स्थिरीकरण निधि की कॉर्पस निधि का एक भाग बनते। यह स्कीम 30.09.2013 को बंद की गयी थी।

of providing financial relief to small growers of tea, coffee, rubber and tobacco having operational holdings of land up to four hectares, when the price fall below the average price of previous seven years International price, without resorting to the practice of procurement operations by Government agencies. Price Stabilization Fund Trust was set up by the Government in September, 2003 to implement the scheme. Under the scheme, a corpus of ₹500crores was to be kept in Public Account of Government of India with Government of India contribution of ₹482.88 crores and Growers' contribution (towards entry fee) of ₹17.22 crores. The grower member was required to deposit ₹500 (Non-refundable) towards entry fee, which would form part of the corpus fund of PSF. The scheme was closed on 30.09.2013.

वर्ष 2020–21 की मूल्य स्थिरीकरण निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of Price Stabilization Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1379,85,35
प्राप्तियां	Receipts	-137985,35
ब्याज जमा	Interest Credited	शून्य NIL
भुगतान	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL